

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

उपखण्ड अधिकारी: उपखण्ड अधिकारी
 नाम: राजेश्वर लाल झाड़ि
 क्रमांक: पत्रावली
 दिनांक: 22.8.25 वर्ष: 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
22.8.25	<p>वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
26.8.25	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभावक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 23.8.25 को पेश हो।</p>
23.09.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली वास्तु तलबी जरिये Ref. ad. दि. 19.11.25 को पेश हो।</p>
19.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली वास्तु तलबी जरिये Ref. ad. दि. 28.11.25 को पेश हो।</p>
28.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अनु. वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को वाड-वाड आवाज कबवाई गई। उम्हरे बाबगूद की न्यायालय समय में सम्मेलन तक की वकील प्रार्थी व प्रार्थी दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी स्टड घर पर हम पर्यन्त। सदम समिती में जारी क्रि. जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली केवल शुमाड होड वादत कमील साखिल पफ्त हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

